

(1) सिविल अपील क्रमांक: 53/14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 53/14
संस्थापन दिनांक 21/8/12

1. सावित्रीदेवी पत्नी तारासिंह आयु 61 साल,
2. राघवेन्द्र सिंह पुत्र हीरासिंह आयु 28 साल
निवासी ग्राम चिराई मौजा भौनपुरा,
परगना गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश -----अपीलार्थीगण/वादी

ब ना म

1. गोपाल सिंह पुत्र डालसिंह आयु 51 साल
2. जसवीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह
निवासी ग्राम चिराई मौजा भौनपुरा परगना गोहद,
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश.....मूल रिस्पोडेंट/प्रतिवादी

अपीलार्थी/वादीगण द्वारा श्री एम.एल. मुदगल अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादी क्र.-1 व 2 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

न्यायालय-कुमारी शैलजा गुप्ता, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-81 ए/2011 ई.दी. में पारित निर्णय दिनांक 19/7/2012 से उत्पन्न सिविल अपील

नि र्ण य :-

(आज दिनांक 20 सितंबर, 2014 को घोषित किया गया)

1. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील अंतर्गत धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 81 ए/ 2011 में प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 19/7/2012 से विद्युद्ब होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी /वादीगण के वाद को सव्यय निरस्त किया गया है ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि वादीगण/अपीलार्थीगण सावित्रीबाई और राघवेन्द्र आपस में बुआ भतीजे हैं । सावित्रीबाई विधवा है तथा राघवेन्द्र संविदा शिक्षक के विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य एस.डी.एम. गोहद के न्यायालय में भी

राजस्व अपील बंटन के संबंध में लंबित है ।

3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है वादीगण सावित्री एवं राघवेन्द्र विवादित भूमि सर्वे नंबर क्रमशः 115 के मिन रकवा 0.90 एवं मिन रकवा 1.00 हैक्टेयर पर भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर विवादित भूमि पर अपने अपने खेतों में कृषि करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादीगण, वादीगण के गांव के होकर झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं जिनका विवादित भूमि से ना तो कोई संबंध है और ना ही उनका कोई खेत विवादित भूमि से लगा है । प्रतिवादीगण ने जबरन असाढ के महीने में ट्रैक्टर से खेत को जोतने की कोशिश की, और वादीगण द्वारा रोके जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा गाली गलौच करते हुए लडाई झगडे पर आमादा हो गया व जान से मारने की धमकी भी दी ।
4. जिस कारण वादीगण ने दिनांक-1/8/2011 को एस. डी.एम. गोहद को उक्त आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें एस. डी.एम. गोहद द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी एण्डोरी को निर्देशित किया गया । किन्तु थाना प्रभारी एण्डोरी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में कब्जा करना चाहते हैं, जिससे वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी । वादी ने मध्यप्रदेश शासन को तरतीवी पक्षकार बनाते हुए उसके विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है । अतः वादी ने वादपत्र पेशकर वादीगण को विवादित भूमि का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किए जाने व प्रतिवादीगण को उनके कब्जा काश्त से निषेधित किए जाने की आज्ञाप्ति प्रदान किए जाने बाबत निवेदन किया है ।
5. प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण क्रमांक-1 व 2 ने अपने जवाब में यह व्यक्त किया है कि विवादित भूमि वादीगण के आधिपत्य की ना होकर शासकीय भूमि है जिसके बगल से प्रतिवादीगण के खेत लगे हुए हैं, जिसपर वे निरंतर निर्विघ्न रूप से खेती करते आ रहे हैं । वादीगण द्वारा कोई आवेदनपत्र एस.डी.एम. गोहद व एण्डोरी थाना में दिया गया हो तो उसे जानकारी नहीं है । वादीगण ने गोपनीय व फर्जी तरीके से विवादित भूमि का 0.90 रकवा वादी क्र.-1 के व रकवा 1.00 वादी क्रमांक-2 के नाम आवंटित करा लिया है, जबकि भूमि आवंटन योग्य नहीं है । वादी क्र.-1 धौलपुर का निवासी होकर मुरैना में निवासरत है व वादी क्र.-2 की सगी बुआ है । वादी क्र.-2 वर्तमान में 22 साल का है, जो आवंटन के समय 14 साल का था, जिससे किसी शासकीय भूमि का आवंटन कराया जाना स्पष्टतः फर्जी आवंटन होने का सबूत है । प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आवंटन के विरुद्ध की थी, जो संचालित है । राजस्व न्यायालय की कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से व आवंटन की

कार्यवाही को निरस्त ना किया जा सके इस हेतु वादीगण ने उक्त दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया है । प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है । उक्त आधार पर वादीगण का दावा निरस्त किए जाने का निवेदन किया है ।

6. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. का आवेदनपत्र पेशकर अभिवचन किया है कि निर्णय में कई जगह निष्कर्षित किया गया एवं उक्त समस्त कागजात आवेदक/वादीगण द्वारा खोजने पर अब प्राप्त हुए हैं, जो अपील के साथ पेश किए जा रहे हैं, जो कि निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हैं जिससे निर्णय में सहयोग मिलेगा व न्यायदान में सहायक होंगे । अतः आवेदनपत्र पेशकर सूची अनुसार दस्तावेज प्रकरण में गृहण किए जाने का निवेदन किया ।
7. उक्त आवेदनपत्र का प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित विरोध कर व्यक्त किया गया है कि जो दस्तावेज वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा पेश किए जा रहे हैं, वह उनके पास हमेशा से ही रहे हैं इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किए गये, वादग्रस्त जमीन पूरी तरह शासकीय है, और वादी का दावा खारिज हुआ है । पारित निर्णय की पूर्ती के लिए जो दस्तावेज अपील के साथ पेश किए गये हैं, वह इस स्टेज पर गृहण योग्य नहीं है । अतः आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।
8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर बादप्रश्नों की रचना की और विचारण करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत गुणदोषों पर आलोच्य निर्णय पारित कर वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद निरस्त किया जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलार्थीगण ने उक्त अपील पेश की गई।
9. वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील ज्ञापन में यह आधार लिया गया है कि प्रतिवादीगण ने कथन में एस.डी.ओ. गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में अपील पेश करना नहीं बताया है, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है । इसके बावजूद बंटन आदेश के विरुद्ध अपील होना और उसका निराकरण एस.डी.ओ. के न्यायालय से कराने का निष्कर्ष देकर आलोच्य आदेश पारित करने में भूल की है। वादिया क्रमांक-1 का नाम भौनपुरा की मतदाता सूची में तथा राशन कार्ड में भी है । राघवेन्द्र ने अपनी साक्ष्य में जन्म तिथि 26/10/1984 बतायी है उसके अनुसार बटांकन के समय उसकी उम्र 18 साल 8 माह होती है, बंटाकन के समय वह शिक्षित ना होकर बेरोजगार कृषक था, उसकी संविदा शाला शिक्षक में नौकरी 2009 में लगी है । इस तथ्य की ओर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर गंभीर त्रुटि की है।

10. प्रतिवादी की साक्ष्य ये ही यह प्रमाणित हो जाता है कि विवादित भूमि में एक बड़ा कमरा बना है जिसे वादी क्र.-1 सावित्रीदेवी के पिता व वादी क्र.-2 के बाबा ऊदलसिंह ने बनवाया, जिससे भी वादीगण विवादित भूमि के भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी होना प्रमाणित होते हैं । जिसे भी नजर अंदाज कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नहीं कर आलोच्य निर्णय पारित कर निषेधाज्ञा प्रचलित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर काबिल निरस्ती योग्य होने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।

11. उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

- 1- क्या अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है ?
- 2- क्या अपील स्वीकार की जाकर वादीगण/अपीलार्थीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किए जाने योग्य है ?
- 3- क्या, वादीगण/अपीलार्थीगण का आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अंतर्गत दिनांकित-16/8/12 प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों में स्वीकार योग्य हैं ? यदि हां तो प्रभाव ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3

12. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों 1 व 2 का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया । विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया ।

13. सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 27 धारा 151 सी0पी0सी0 का आवेदन का निराकरण किया जाना उचित होगा । अपील स्तर पर अपीलार्थीगण की ओर से आवेदनपत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज पेश कर उन्हें अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने की प्रार्थना की गई है, जिसका जबाव में विरोध किया गया है ।

14. आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के प्रावधान के तहत अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में कोई पक्षकार मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर सकता है, लेकिन उसमें जो शर्त है उसके मुताबिक ऐसे दस्तावेजों को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य करने से इंकार किया हो अथवा पक्षकार उसे सम्यक तत्परतापूर्वक बरतने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश ना कर सका हो । तीसरा अपीलीय न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई अपेक्षा की गई हो और यदि आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है तो उसके कारणों को लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है ।
15. आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के उपबंध के संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत यशोदादेवी एवं अन्य विरुद्ध कन्हैयालाल 2010 भाग-4 एम0पी0एल0जे0 पेज-494 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अतिरिक्त साक्ष्य के लिये आवेदनपत्रों का निराकरण करते समय मूलतः यह देखा जाना चाहिये कि क्या अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने वाले दस्तावेजों को अभिलेख पर ग्राह्य किया जाकर न्याय संगत निराकरण किया जा सकता है तभी उन्हें स्वीकार करने चाहिये । यदि दस्तावेजों को ग्राह्य किये वगैर उचित न्याय निर्णयन किया जा सकता हो, तो ऐसे दस्तावेजों को ग्राह्य करने की आवश्यकता नहीं है । उक्त न्याय दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ यू0पी0 वि0 मनबोधनलाल श्रीवास्तव ए0आई0आर0-1957 एस0सी0 पेज-912 को अनुसरित करते हुये दिया गया है । इस प्रकरण की जो विषय वस्तु हैं, उसमें सूची अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि जो दस्तावेज अभिलेख पर है और जो विवाद की विषय वस्तु हैं, उसमें उक्त दस्तावेजों के बगैर भी न्यायोचित निराकरण संभव है ।
16. ऐसे में आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही न्याय दृष्टांत रंगलाल वि0 राधेश्याम 1995 भाग-1 एम0पी0 विकली नोट शार्ट नोट 195 में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि यदि पेश किये जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों से भी मामला स्थिर नहीं हो तो उन्हें प्रस्तुत किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिये । न्याय दृष्टांत करमचंद्र वि0 मैसर्स नमीचंद्र, खेमचंद्र 1994 भाग-2 एम0पी0 विकली नोट शार्टनोट 187 में आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि विचारण न्यायालय में

दस्तावेज क्यों प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं । इसके अलावा पर्याप्त कारण यदि नहीं बताया गया है तो अतिरिक्त साक्ष्य की भांति दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । हस्तगत मामलें में जो सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये गये हैं उन्हें विचारण न्यायालय में प्रस्तुत ना किये जाने का कोई समुचित कारण प्रकट नहीं किया है ।

17. मामले में वादोत्तर में राघवेन्द्र के अवयस्क होने और सावित्री के बाहरी महिला होकर राजस्थान की होने के संबंध में तथा विवादित भूमि शासकीय भूमि होने , वादीगण के स्थानीय व भूमिहीन ना होने के अभिवचन किए गये थे, उसके बावजूद पर्याप्त अवसर होते हुए और वादी/अपीलार्थी की जानकारी में यह तथ्य होते हुए भी उनकी उक्त बिन्दु प्रमाणित करने होंगें, विचाराधीन न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों को पेश नहीं किया, जिससे उनके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा निर्मित की जावेगी ।

18. आवेदनपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णत पारित किया गया है और उसमें जो निष्कर्ष दिया है उसके संदर्भ में दस्तावेज खोजन पर प्राप्त होने पर पेश किया गया है । अतिरिक्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष को खंडित करने के उद्देश्य से पेश किया जाना ऐसी दशा में प्रकट होता है जो कि समुचित कारण नहीं माना जा सकता है, जहां तक दस्तावेजों से गुणदोष पर पडने वाले प्रभाव का प्रश्न है मूलतः उनसे भूमिहीन गरीब मजदूरी व्यक्ति के आधार पर शासन द्वारा आर0बी0सी0 के खण्ड क्र0-4 की कंडिका-3 के आधार पर पेश है, जिसमें बंटन की कार्यवाही उचित होने के आधार पर वाद स्वत्व आधिपत्य की घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा बावत प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-1 व 2 के विरुद्ध पेश किया गया था, जब कि बंटन में जो भूमि प्रदान की जाती है वह केवल कृषि प्रयोजनों के लिये होती है और उस पर स्वत्व नहीं होता है । स्वत्व शासन का ही बना रहता है जो भूअधिकार ऋण पुस्तिकायें उक्त आवेदन के साथ पेश की गई उसमें भी भूमि अस्थान्तरणीय उल्लेखित है ।

19. ऐसे में स्वत्व के संबंध में प्रकरण में दस्तावेज सहायक प्रतीत नहीं होते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय में जो साक्ष्य पेश की गई जिसमे वादी/अपीलार्थी की और से दस्तावेज प्रमाण में कुछ भी पेश नहीं किये गये केवल दावा पूर्व धारा 80 के तहत दिये गये शासन को नोटिस की कार्बन प्रति और उसकी डाक रसीद ही पेश की गई । ऐसे में दस्तावेज गुणदोष पर कोई सहायक प्रतीत नहीं होते और उक्त प्रावधानों का उद्देश्य स्वीकारोक्ति के विरुद्ध जाने या उसे खण्डित करने की पूर्ति के लिये

उपयोग में नहीं लाया जा सकता है ।

20. अभिलेख पर वादी/अपीलार्थी राघवेन्द्र सिंह ब0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में बंटन कार्यवाही के समय अव्यस्क बताया जिसके खंडन के लिये उसकी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज पेश किये गये हैं तथा सावित्रीबाई को स्थानीय निवासी होना साक्ष्य में नहीं आया है और उसे मुरैना में निवासरत बताया है, जिसे स्थानीय बताये जाने के संबंध में उससे संबंधित परिवारपत्र निर्वाचन नामावली की सूची इत्यादि पेश किये गये हैं अतिरिक्त स्वीकारोक्ति को वापिस लेने संबंधी दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है । शेष दस्तावेज बंटन की कार्यवाही के संबंध में और उसके बाद हुये खसरे प्रविष्टि के संबंध में हैं जिनसे गुणदोष पर कोई न्याय निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है क्योंकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण का यह आधार व तर्क रहा है कि बंटन की कार्यवाही ही दूषित और विधि के विपरीत है । अर्थात् वे बंटन की कार्यवाही होना तो मानते हैं क्योंकि विधि सम्मत होने से इंकार कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में उक्त प्रपत्रों में वादी/अपीलार्थी की ओर से पेश किये गये दस्तावेजों को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाना न्याय संगत नहीं पाया जाता है ।

21. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह आपत्ति भी ली है कि बंटन की कार्यवाही वर्ष 2003 की होकर 14/7/03 की बताई गई है और उसी वर्ष उसका अमल हो जाना बताया है, तथा प्रीमियम दो साल बाद केवल एक वर्ष के लिये दिनांक 26-4-05 को जमा किया गया है । बंटन दिनांक के पूर्व कोई दस्तावेज नहीं है क्योंकि वोटर लिस्ट परिवार कार्ड सभी बाद के हैं । अंकसूची भी बाद में प्राप्त कर पेश की गई है जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि सावित्रीबाई उसी गांव की लडकी थी जिसका विवाह बाहर हुआ था और वह विधवा हो चुकी है तथा गरीबी रेखा में उसका नाम है, इस आधार पर उसे बंटन हुआ है । मुरैना में वह किराये से बच्चों को पढ़ाने के लिये अस्थाई रूप से रही है तथा विवादित भूमि मुताबिक भोनपुरा में स्थित है, जहां सावित्री का लडका विद्या अध्ययन करता रहा है और राघवेन्द्र भी विद्या अध्ययन करता रहा है जिसका प्रमाण पेश है । पूर्व में दस्तावेजों की आवश्यकता महसूस नहीं हुई इसलिये विचारण न्यायालय में पेश नहीं किया और जिन आधार पर वाद खारिज किया है उसे खण्डित करने के लिये दस्तावेज पेश किया गया है । ऐसे में आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 का आवेदन सदभावी प्रतीत ना होने से वाद विचार निरस्त किया जाता है ।

22. जहां तक मूल अपील के गुणदोष का प्रश्न है प्रकरण में विधिक स्थिति को देखा जाये तो पूरा वाद म0प्र0 राजस्व पुस्तिका परिपत्र खण्ड 4 की क्रमांक 3 से संबंधित है जिसमें कृषि भूमि के बंटन की प्रक्रिया बताई गई है और कंडिका-1 के मुताबिक म0प्र0 में कृषि योग्य भूमि के बंटन के लिये पूर्व में प्रमाणित आदेशों को निरस्त करते हुये जो हिदायतें शासन द्वारा जारी की गई है उनमें हस्तगत मामलों के पक्षकार वादी/अपीलार्थी जो कि स्वर्ण जाति के हैं उन्हें भूमिहीन और निर्धन व्यक्ति के आधार पर बंटन बताया है जिसके संबंध में कंडिका-1 (ड) में भूमिहीन व्यक्ति को परिभाषित किया है, जिसके मुताबिक भूमिहीन व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक व कृषक मजदूर से है जो इस राज्य में कृषक 12 वर्ष से निवासी हो तथा जिसका स्वयं के पास अथवा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ संयुक्तरूप से कोई भूमि ना हो ।

23. " भूमिहीन व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक व कृषक मजदूर से है जो इस राज्य में कम से कम बारह वर्ष से निवासी हो तथा जिसके स्वयं के पास अथवा अपने कुटुम्ब के सदस्य के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि ना हो" {म0प्र0 राज्य विभाग मंत्रालय आदेश क0-एफ 4-6/2000/सात 2 ए. दिनांक 1/6/2000 { राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन केवल उन्हीं भूमिहीन व्यक्तियों को किया जाय जो कोई भी भूमि धारित नहीं करते हों साथ ही उन्हें अपात्र मान्य किया जाय जिसने सरकार की पट्टे पर भूमि लेकर अन्तरित कर दी हो}

स्पष्टीकरण- इस कंडिका के प्रयोजन के लिये भूमिहीन व्यक्ति के कुटुम्ब में वह स्वयं उसकी पत्नी या पति, पुत्र अविवाहित पुत्रिया, माता व पिता तथा सगे और सोतेले भाई माने जायेगे"

भूमिहीन व्यक्ति वर्ग-2:- भूमिहीन व्यक्ति वर्ग-2 के तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक व कृषक मजदूर से है जो कि इस राज्य में कम से कम 12 वर्षों से निवासी हो तथा जिसके पास

- (1) कोई भूमि ना हो, अथवा
- (2) पहाड़ी अथवा पथरीली भूमि में से एक हैक्टर या उससे कम असिंचित भूमि, अथवा
- (3) अन्य प्रकार की भूमि में 1/2 हैक्टर या उससे कम असिंचित भूमि हो, अथवा
- (4) अपने परिवार के सदस्य के साथ संयुक्त रूप से उपयुक्त (दो) अथवा (तीन) जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत निर्धारित रकबे से कम भूमि हो, अथवा

(5) अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऐसी भूमि, जिसमें उसका व्यक्तिगत हिस्सा उपयुक्त (दो) अथवा (तीन) जैसी स्थित हो, के अंतर्गत निर्धारित रकबे से कम हो ।

एक— भूमिहीन व्यक्ति: वर्ग-2 के उपबंधों के प्रयोजन के लिये एक हेक्टेर सिंचित भूमि 2 हेक्टेर असिंचित भूमि के बराबर मानी जावेगी ।

दो— व्यक्ति के परिवार में उसकी पत्नी या पति, अव्यस्क बच्चे और ऐसे माता पिता जो उसके साथ रहते हैं और उस पर आश्रित हो, शामिल हैं ।

तीन— यदि किसी व्यक्ति के पास उसके परिवार के सदस्यों के साथ और ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ जो उसके परिवार के सदस्य नहीं हो भले ही उस अन्य व्यक्ति का परिवार हो या नहीं हो, संयुक्त रूप से भूमि हो तो ऐसे अन्य व्यक्ति का हिस्सा इस रूप में माना जावेगा मानों कि वह एक अलग व्यक्ति हो ।

चार— किसी परिवार में एक से अधिक भूमिहीन पात्र होने पर एक से अधिक पात्रों को भूमि प्राप्त करने का तभी अधिकार होगा जब कि उसी ग्राम के भूमिहीन व्यक्ति :वर्ग-1 के व्यक्तियों को भूमि बंटित करने के पश्चात कोई कृषि भूमि शेष रहें ।

पांच— संयुक्त परिवार के मामलों में परिवार के वयस्क पुत्र/पुत्री को भी पृथक परिवार मानकर पात्रता के आधार पर भूमि आबंटित की जा सकेगी ।

24. कंडिका-5 बंटन की सीमा-भूमिहीन व्यक्ति को अधिकतम एक हेक्टेर सिंचित भूमि अथवा दो हेक्टेर असिंचित भूमि आबंटित की जा सकेगी, इस सीमा में 0.10 हेक्टेर भूमि की कमी-बेशी की जा सकेगी : परन्तु यदि उस ग्राम तथा निकटतम ग्राम में उपलब्ध भूमि पर्याप्त मात्रा में न हो तो पात्रता रखने वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को भूमि बंटन करने का प्रयास इस तरह किया जायेगा कि बंटिती के आधा हेक्टेर भूमि से कम भूमि न हो ।

25. वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने वादी/अपीलार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि का बिज काश्त होने से बंटितकी जाना बताया है जब कि प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है, कि भूमि शासकीय है और उसका बंटन अनुचित है रिकार्ड में भी शासकीय दर्ज है और वादीगण बंटन की पात्रता नहीं रखते हैं, क्योंकि वे भूमिहीन कृषि मजदूर की श्रेणी में नहीं आते हैं और ना स्थानीय हैं । प्रकरण में सर्वप्रथम यह देखना होगा कि क्या वादी/अपीलार्थीगण भूमि बंटन में पाने के पात्र थे या नहीं तभी उन्हें उस

पर कोई वास्तविक आधिपत्य या अधिकार प्राप्त हो सकता है ।

26. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खंडन संबंधी कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया था जिसके आधार पर उन्होंने आलोच्य निर्णय में निष्कर्ष निकाले थे जो मौखिक साक्ष्य पर आधारित थे । अभिलेख पर एकमात्र दस्तावेज प्र०डी०-1 का खसरा पेश है जिसमें भूमि शासकीय अंकित है और काबिज काशत बताई गई है । बंटन निजी भूमि का नहीं होता है शासकीय भूमि का ही होता है जो काबिज काशत है जैसा कि उपर वर्णित प्रावधान में भी ऐसे में वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि रही है यह सुस्थापित हो जाता है । जहां तक बंटन प्रक्रिया की वैधता का प्रश्न है इस संबंध में अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य महत्वपूर्ण है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में यह प्रावधान किया गया है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने के लिये साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, जिस पर प्रत्यर्थांगण के विद्वान अधिवक्ता ने अत्यधिक बल दिया है, इस संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो मामले में हित ग्राहीता बताई गई सावित्रीबाई साक्ष्य में पेश नहीं हुई है जो अपनी स्थिति को स्पष्ट करती है क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि जो तथ्य जिस पक्षकार की जानकारी में हो उस पर उसी को साक्ष्य देना चाहिये माननीय म०प्र०उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत गुल्ला वि० हरीसिंह 1970 जे०एल०जे० पेज 207 में यह प्रतिपादित किया है कि जिस पक्षकार की जानकारी में जो तथ्य है वह यदि उन तथ्यों के संबंध में साक्ष्य नहीं देता तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा की जायेगी जो इस मामले में सावित्रीबाई के संदर्भ में लागू किये जाने योग्य है और अभिलेख पर ऐसा कोई कारण भी प्रकट नहीं किया है कि सावित्रीबाई के द्वारा साक्ष्य क्यों नहीं दी गई ।

27. हालांकि यह सही है कि जहां एक से अधिक वादी या पक्षकार है तो सभी को साक्ष्य में पेश किया जाना विधि की अपेक्षा में नहीं है, किन्तु इस मामले में बंटन की कार्यवाही के समय राघवेन्द्र की जो स्थिति बताई गई है उसे देखते हुये सावित्रीबाई इस मामले के लिये महत्वपूर्ण साक्षी थी । अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परीशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि सावित्रीबाई न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से संभवतः कभी भी उपस्थित नहीं हुई है ऐसे में उसका प्रकरण के प्रति उदासीनता परीलक्षित होती है ।

28. जहां तक वादी/अपीलार्थी राघवेन्द्र का प्रश्न है जो बंटन की कार्यवाही को सही बताता है उसने ब०सा०-1 के रूप में दिये कथन के मुख्य परीक्षण में तो अभिवचनों की तरह ही बताया है किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसने पैरा-7 में यह स्वीकारोक्ति की है कि वादग्रस्त जमीन सरकारी थी

और उसने स्वयं को भूमिहीन कृषक मजदूर बताकर शासन से प्राप्त की है उक्त पैरा में ही वह अपनी जन्मतिथि 26-10-1984 बताता है । वर्ष 2009 से संविदा शिक्षक होना भी बताता है । बंटन की कार्यवाही 2003 की बताई है इससे यह सही है कि बंटन के समय वह शासकीय सेवा में नहीं था किन्तु भूमिहीन कृषि मजदूर बंटन के समय था या नहीं यह विचार योग्य विन्दु है और इसके संबंध में उसने यह भी स्वीकारोक्ति की है कि जब जमीन उसे पट्टे पर मिली उसके 6-7 साल पहले से वह जमीन जोत रहा था जब कि वह यह भी स्वीकार करता है, कि खेती स्वयं नहीं करता था अन्य लोगों से जुतवाता था क्योंकि वह खेती करने लायक नहीं था और उसकी उम्र 14-15 वर्ष की थी अर्थात् वह नाबालिग था और उसके पिता के पास 2 बीघा जमीन है उसके बाबा के पास कितनी जमीन है इसका उसे पता नहीं है । अर्थात् वह स्पष्ट रूप से इंकार नहीं करते हैं जब कि उपर वर्णित प्रावधान मुताबिक उसके परिजनों के पास भी कोई कृषि भूमि नहीं होना चाहिये थी तभी उक्त प्रकार का बंटन हो सकता था ऐसे में बंटन में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा जो चुनौती दी गई है वह बल रखती है ।

29. ब0सा0-1 ने पैरा-8में प्राप्त पट्टा अभिलेख में पेश करना बताया है जो कि विचारण के दौरान पेश नहीं था और पट्टे के लिये वह कलेक्टर भिण्ड को दिये गये आवेदन को भी पेश करना बताता है, जिस पर से तहसीलदार ने उसे पट्टा दिया वह भी पेश नहीं किया उसने सावित्रीबाई को बुआ होना स्वीकार करते हुये यह कहा है कि उसकी ससुराल ग्राम तसीमों जिला धौलपुर में है और उसका फूफा खत्म हुये 35 साल हो गये हैं तथा उसकी बुआ के एक लडका भी है जो ग्राम रायतपुरा में मास्टर है और उसकी बुआ ग्राम चिराई मुरैना में अलग झोपडी बनाकर रह रही है । अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि बंटन के 12 वर्ष पूर्व से सावित्रीबाई ग्राम भोनपुरा में भूमिहीन व्यक्ति के रूप में निवासरत रही है ।

30. ब0सा0-1 के कथन की सीट क0-4 में अंकित पैरा-8 जो डबल अंकित हो गया है उसमें उसका ऐसा कहना रहा है कि विवादित भूमि को विक्रय करने का उसे अधिकार नहीं है जिससे भूमि शासकीय भूमि की पुष्टि होती है । पैरा-9 में उसने यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण उसे जमीन नहीं जोतने दे रहे हैं इससे उसका वास्तविक कब्जे का विन्दु भी खण्डित होता है व आधी जमीन खाली पडी होना भी बताता है जिससे इस बात को बल मिलता है कि सावित्रीबाई का कोई आधिपत्य वास्तविक में मौके पर नहीं है । अभिलेख पर बंटन को चुनौती देते हुये एस0डी0ओ0 गोहद के यहां अपील विचाराधीन होना पैरा-11 में स्वीकार किया है । ऐसे में राघवेन्द्र ब0सा0-1 के अभिसाक्ष्य में लिये गये वादाधार का खण्डन होता है और

जिसतरह से उसकी स्वीकारोक्ति आई है उसका उसे बंटन की कार्यवाही पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है । ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय कंडिका-8 लगायत 10 में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं वह तथ्यों पर आधारित होकर विधि के प्रतिकूल होना नहीं माने जा सकते जैसा कि विद्वान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है ।

31. वादी के अन्य साक्षियों में धर्मेन्द्रसिंह ब0सा0-1 को पेश किया गया है जिसकी उम्र कथन दिनांक 19-4-12 को 38 साल थी और जिसका प्रतिपरीक्षण दिनांक 3/5/12 को हुआ जिसने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि लड़ाई किस बात की है इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है । वह खेती वादी/अपीलार्थी की बताता है । प्रत्यर्थी/प्रतिवादी गोपाल की होने से इंकार करते हुये यह भी स्वीकार किया है कि, विवादित खेत के आसपास राघवेन्द्र का कोई खेत नहीं है चाचा ताउ के खेत हैं । अभिलेख पर यह स्पष्ट नहीं है कि राघवेन्द्र और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि नहीं है ऐसा स्पष्ट नहीं है ऐसा ही ना राघवेन्द्र के संबंध में है और ना सावित्री के संबंध में इसलिये वादी/अपीलार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होगी कि उन्होंने वांछित अभिवचनां को प्रस्तुत नहीं किया ।

32. ब0सा0-2 ने सावित्री को गांव की लडकी होना और विधवा होने से गांव में रहना बताया है लेकिन कब से सावित्री गांव में रह रही है उसके बारे में वह स्पष्ट तथ्य नहीं बताता है ऐसे में उसकी साक्ष्य बल नहीं रखती है ना ही आधारों का समर्थन या संपोषक श्रेणी की है । तीसरा साक्षी महेश ब0सा0-3 की उम्र भी महज 30 वर्ष कथन के समय थी जिसने अपने अभिसाक्ष्य पैरा-5 में राघवेन्द्र के पिता के पास 2-3 बीघा जमीन होना स्वीकार करते हुये राघवेन्द्र के बाबा के पास 10-12 बीघा जमीन होना भी बताया है । राघवेन्द्र के पास टैक्टर भी बताया है जो कि वह वर्तमान में लेना कहता है और वह जमीन राघवेन्द्र को जोतते हुये देखना कहता है, जब कि स्वयं राघवेन्द्र के मुताबिक वह दूसरे से जमीन जुताता था, क्योंकि खेती करने के लायक नहीं था । राघवेन्द्र को वह 8-9 बीघा जमीन जोतना कहता है इससे भी बंटन की पात्रता परीलक्षित नहीं होती है, और सावित्री और राघवेन्द्र का वास्तविक कब्जा स्थापित नहीं होता है क्योंकि पैरा-6 में उसने विवादित जमीन साढे 6 बीघा होना बताते हुये साढे 4 बीघा सावित्री की और 5 बीघा राघवेन्द्र की बताई है और यह भी कहा है कि सावित्री की जमीन पर राघवेन्द्र ही खेती करता है । केवल सावित्री को हिस्सा दे दिया है जो उसकी बुआ है उसने भी ऐसा सुना है । सावित्री के लडके मुरैना में रहकर पढते हैं जो वह किराये से रहने की बात सुनता है उसने सावित्री के

लडके को भी सरकारी मास्टर होना बताया है ।

33. वा.सा.-3 ने यह भी स्वीकार किया है कि कथन वाले वर्ष अर्थात् 2012 में प्रत्यर्थी गोपाल ने असाढ के महीने में विवादित खेत जोता था, उसके पहले राघवेन्द्र क बाबा और पिता खेती करते थे, जबकि बंटन राघवेन्द्र को बताया गया है, उसके अभिसाक्ष्य से भी राघवेन्द्र और सावित्री का मौके पर भूमिहीन व्यक्ति के रूप में कब्जे की पुष्टि नहीं होती है, जोकि प्रमाणित होना आवश्यक थी और इस संबंध में प्रतिवादी की जो साक्ष्य आयी है, उसमें गोपाल सिंह प्र.सा.-1, दीवान सिंह प्र.सा.-2 और निरपाल सिंह प्र.सा.-3 के अभिसाक्ष्य कराये गये हैं, जिन्होंने भूमि शासकीय बताते हुए वादी/अपीलार्थीगण के कब्जे की होने से इंकार किया है ।
34. यह अवश्य है कि गोपाल प्र.सा.-1 ने मौके पर खेत में एक पक्का कमरा {धर्मशाला} बनी होना और उसमें ऊदल सिंह के नाम की पट्टिका होना स्वीकार किया है, जो तर्कों में स्वीकृत तौर पर राघवेन्द्र का बाबा बताया गया है तथा उसने पैरा-8 में यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी.-1 में राघवेन्द्र के पिता हीरासिंह का अतिक्रमण दर्ज है, जिसे वह झूठा बताता है, लेकिन मामले में राघवेन्द्र के पिता हीरासिंह पक्षकार नहीं है, ना ही उसके द्वारा भूमि पर कोई दावा किया गया, ऐसे में उसका अतिक्रमण होने के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है । धर्मशाला बनी होने से भी स्वत्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है और यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सिविल मामले में वादी को ही अपने वाद आधार प्रमाणित करने होते हैं और वह प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की किसी प्रकार की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है, जैसा कि न्याय दृष्टांत **दूल्हेसिंह विरुद्ध जुझारू सिंह 1995 भाग-2 एम. पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-170 में** प्रतिपादित किया गया है ।
35. इस प्रकार से अभिलेख पर जो साक्ष्य आयी है, उसमें आर.बी. सी. के खण्ड चार की कंडिका-3 का अनुपाल विधिक रूप से परिलक्षित नहीं होता है और बंटन पश्चात के प्रीमियम जमा के प्रमाण से भी कोई उपधारणा निर्मित नहीं होगी । ऊदलसिंह के नाम की पट्टिका भी स्वत्व का आधार नहीं है तथा भूमि निर्विवादित रूप से ऐसी दशा में शासकीय प्रकृति की हो जाती है और ऐसी भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा की प्रार्थना विधि विरुद्ध है । जैसा कि मूल दावे में की गयी थी । जिसे कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।
36. जिस प्रदर्श डी.-1 के खसरे को वादी/अपीलार्थी अपना आधार बताते हैं । वह उचित नहीं है और प्रदर्श डी.-1 के सत्य प्रतिलिपि

के रूप में है । उसमें हस्ताक्षरों के संबंध में आलोच्य निर्णय कंडिका-8 के अंत में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला कि वंटन की जो टीप है, उसके नीचे हस्ताक्षर अंग्रेजी हैं, लिखा है । वास्तव में टीप किसने लिखायी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसे यदि अस्वीकार भी कर दिया जाये तब भी उससे वादी का वाद आधार प्रमाणित नहीं होगा । क्योंकि मामले में ग्राम के वास्तविक निवासी होने पर भिन्नता पायी गयी है, भूमिहीन व्यक्ति होने के संबंध में भी वादी/अपीलार्थी का पक्ष सबल नहीं पाया गया है, ऐसे में यदि प्रतिवादी/प्रत्यर्थीगण की प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य को पूरी तरह अग्राह्य भी कर दिया जाये तब भी उससे वाद आधार प्रमाणित नहीं होंगे ।

37. प्रकरण में जिस भूमि का विवाद है, वह शासकीय भूमि थी, किन्तु वादी/अपीलार्थीगण ने शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया है, जबकि शासकीय भूमि के संबंध में शासन आवश्यक पक्षकार होता है । ऐसे में प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों का अनुपालन भी नहीं किया गया है । हालांकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के असंयोजन का दोष प्रकरण में नहीं माना है, किन्तु जिस भूमि का विवाद है, वह शासकीय होने से प्रकरण में यह बिन्दु भी महत्वपूर्ण है ।
38. सुस्थापित विधि मुताबिक यदि आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन है तो इस कारण भी वाद डिक्री नहीं हो सकता है । जहां तक वंटन के आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का प्रश्न है, राजस्व इन्द्राज का आधार नहीं होता है । क्योंकि वह राजस्व की वसूली के लिए किया जाता है ।
39. इस तरह से उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम सिविल अपील में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधारों को उक्त परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाला है, वे सकारण हैं तथा वाद को खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है । क्योंकि भूमि शासकीय है और आलोच्य निर्णय व डिक्री ऐसी स्थिति में पुष्टि योग्य है तथा प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में उठाये बिन्दुओं में कोई विधिक बल नहीं है ।
40. फलतः प्रस्तुत सिविल अपील वाद विचार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 30-11-11 की पुष्टि की जाती है ।
41. प्रकरण की परिस्थितियों में उभय पक्षकार अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे ।

42. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो लगाया जाये ।

तदनुसार जयपत्र की रचना की जाये ।

दिनांक—20 सितंबर, 2014

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड